संविधान में हिन्दी

प्रत्येक स्वाभिमानी एवं स्वतन्त्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा–राजभाषा होती है। प्रत्येक देश अपनी समृद्धि, सुरक्षा और विकास हेतु कुछ सपने सँजोता है और उन्हें साकार करने का संकल्प लिए प्रगति के पथ पर बढ़ता चलता है। देश में अधिक-से-अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा व्यापक विचार-विनिमय का माध्यम होने के नाते राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करती है। इससे वैचारिक तथा भावात्मक एकता का आगमन होता है। प्रजातन्त्र में जनता और सरकार के बीच सीधे सम्पर्क के लिए यह अनिवार्य है कि जनता की भाषा में जनता का काम किया जाय और जनता तथा सरकार के बीच भाषा की दीवार न हो। हमारे संविधान के प्रमुख स्तम्भ हैं समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। जनभाषा को सरकारी काम-काज की भाषा बनाकर इनकी सार्थकता स्थापित की जा सकती है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह बतलाती है कि इस भाषा का प्रयोग अखिल देशीय तौर पर काफी पहले से किया जाता रहा है एवं सांस्कृतिक विनिमय की दृष्टि से यह सर्वमान्य है।

इसी आधार पर भारतीय संविधान में हिन्दी के राजकीय प्रयोग के बारे में संकल्प लिए गए।

भारत की स्वाधीनता के बाद देश का संविधान तैयार करने के लिए 290 सदस्यों की संविधान-सभा बनी, जिसके अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान-सभा की प्रारूप-समिति ने 21 जनवरी, 1948 तक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया और फिर उसके हर पक्ष पर बहस हुई। 12 सितम्बर 1949 को संविधान-सभा में भाषा-समस्या पर बहस शुरू हुई और 14 सितम्बर तक चलती रही। यद्यपि संविधान-सभा के लगभग साठ प्रतिशत अहिन्दी भाषी सदस्य थे, फिर भी 14 सितम्बर, 1949 की शाम तक नागरी लिपि में लिखित हिन्दी को सर्वसम्मति से भारत की राजभाषा स्वीकार लिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा—*"एक राजभाषा मान्य कर लेने की घटना हमारे राष्ट्रीय जीवन को दिशा देने वाली और हमारी मनःस्थिति की दृष्टि से एक निर्णायक घटना है।"* इसी विशिष्ट निर्णय की स्मृति में 14 सितम्बर 'हिन्दी दिवस' के रूप में स्वीकृत है।

संविधान में हिन्दी सम्बन्धी प्रावधान :

भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और भाषा से सम्बन्धित 11 अनुच्छेद

नियम के रूप में हमारे सामने आती है। आवश्यकता इस बात की है कि शासन के तीनों अंगों में राजभाषा का प्रयोग हो एवं उसके लिए आवश्यक साहित्य तथा सामग्री तैयार की जाय। यह कार्यालयों का दायित्व है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, कार्यालय के लिए आवश्यक साहित्य के लेखन एवं अनुवाद की व्यवस्था करें, कार्यालय में हिन्दी में काम-काज की प्रगति का निरीक्षण करें, साथ ही राजभाषा की स्वीकृति एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है। हिन्दी में काम करने के लिए यांत्रिक साधन की उपलब्धता भी विचारणीय है एवं इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की अपेक्षा है।

¤